भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2076

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन

2076. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि, निर्माण एवं संबद्ध क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पंजाब में महिलाओं की बेरोजगारी दर का समाधान किस प्रकार कर रही है;

(ग) कृषि से संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष रूप से लक्षित कर कौशल विकास हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा करने वाले श्रम कानूनों के अनुपालन की निगरानी किस प्रकार करती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 अधिनियमित की है जिसमें किसी प्रतिष्ठान या रोजगार में पुरुष एवं महिला कामगारों को समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान पारिश्रमिक चाहे वह नकद अथवा वस्तु के रूप में देय हो, के भुगतान का प्रावधान है।

(ख): सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2021-22 में 8.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 8.7 प्रतिशत और वर्ष 2023-24 में 6.2 प्रतिशत हो गई है।

जारी...2/-

(ग): सरकार सिंगल विंडो कृषि ज्ञान, संसाधन और क्षमता विकास केन्द्र के अधिदेश के साथ देश भर के विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) योजना कार्यान्वित कर रही है। इसने कृषि इनपुट के उत्पादन और वितरण के लिए प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और महिलाओं तथा युवाओं सहित कृषक समुदाय एवं प्रसार कार्मिकों को सलाह प्रदान करने जैसे कार्यकलाप शुरू किए हैं।

(घ): समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समुचित सरकार के रूप में लागू किया जाता है, ताकि प्रतिष्ठानों द्वारा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

****